



भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश, राज्य मुख्यालय,  
शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल - 17

Phone: 2661263,2737446 Fax: 2661263 Website:bsgmp.net E\_mail:scoutguide\_bpl@dataone.in

### परिचयात्मक शिविर प्रतिवेदन

1. शिविर का नाम :- \_\_\_\_\_
2. शिविर का स्थान :- \_\_\_\_\_
3. दिनांक :- \_\_\_\_\_ समय \_\_\_\_\_
4. शिविर संचालक :- \_\_\_\_\_
5. सहयोगी (1) \_\_\_\_\_  
(2) \_\_\_\_\_  
(3) \_\_\_\_\_
6. प्रतिभागी संख्या :- \_\_\_\_\_ सूची संलग्न।

7. सूची :-

क्र.	नम प्रतिभागी	विद्यालय	विकास खण्ड, जिला	जन्म तिथि	शैक्षणिक योग्यता	मोबाईल नम्बर

8. प्रशिक्षण कार्य योजना :-

9. अवलोकन कर्ता :-

10. आय - व्यय विवरण :-

1 - कुल आय -

2 - कुल व्यय -

3 - शेष राशि -

11. रसीद क्रमांक \_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ तक प्राप्त कुल राशि \_\_\_\_\_ शब्दों में  
\_\_\_\_\_ मात्र है।

12. विस्तृत प्रतिवेदन।

शिविर संचालक  
सामान्य सूचना शिविर

—: सामान्य सूचना शिविर का पाठ्यक्रम निम्नानुसार है। :-

- 1 शिविर के सम्बन्ध में जानकारी देना।
- 2 शिविर प्रारम्भ करना।
- 3 शिविर के उद्देश्य।
- 4 स्काउटिंग के नीति, नियम, सिद्धान्त।
- 5 स्काउटिंग की उत्पत्ति, प्रसार।
- 6 स्काउटिंग की विभिन्न शाखाये एवं विधि।
- 7 स्काउट-गाइड का प्रगतिशील प्रशिक्षण।
- 8 यूनिट लीडर का प्रगतिशील प्रशिक्षण।
- 9 आन्दोलन का संगठन।
- 10 स्काउटिंग और संगठन।
- 11 स्काउटिंग आपको कैसे लगी।
- 12 खुली वार्ता।
- 13 शिविर मुल्यांकन।
- 14 आन्तिम वार्ता और समापन।
- 15 समस्त प्रतिभागियों से अभिमत प्राप्त किया जाये।

कृपया उक्तानुसार जिले में सामान्य सूचना शिविर आयोजित करने हेतु आदेश प्रसारित कराकर आदेश की प्रति राज्य मुख्यालय भेजें साथ ही शिविर संचालक को निर्देशित दिया जाये की निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार शिविर का संचालन कर प्रतिवेदन 10 दिवस के अन्दर भेजें।

संलग्न – प्रतिवेदन संबंधित प्रपत्र।

  
राज्य सचिव

भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.

२

भोपाल, दिनांक 06-06-2013

पृ.क्रमांक / 1554 / रा.मु. / प्रशि / जी.आई.-कोर्स / 13  
प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी राज्य मुख्यालय भोपाल।
2. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण / उपयुक्त (आ.वि.) संभाग \_\_\_\_\_ की ओर।
3. सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्का.) संभागीय कार्यालय \_\_\_\_\_ की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार शिविर के आयोजन एवं संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित कर प्रतिवेदन दिनांक 25/8/2013 तक भेजें।
4. जिला संगठन आयुक्त / प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट / गाइड) जिला \_\_\_\_\_ की ओर।

  
राज्य सचिव

भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश राज्य मुख्यालय,  
शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल

Website: bsgmp.net E\_mail: scoutguide\_bpl@dataone.in Phone ☎: 2661263, 2737446 Fax: 2737446

क्रमांक /1557/ रा0मु0/जी.आई.-कोर्स/13  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 06/06/2013

जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त(आ.वि.)  
पदेन  
जिला कमिश्नर (स्काउट)  
जिला -----

विषय :- परिचयात्मक शिविर के आयोजन बाबत।  
संदर्भ :- राज्य के वार्षिक कार्यक्रमानुसार।

विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य मुख्यालय के वार्षिक कार्यक्रमानुसार परिचयात्मक शिविर का आयोजन ब्लाक/जिला स्तर पर माह जुलाई 2013 में किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित शिविर विवरण निम्नानुसार है।

1. शिविर का नाम - परिचयात्मक प्रशिक्षण शिविर।
2. अवधि - माह जुलाई 2013 तक।
3. स्थान - ब्लाक/जिला स्तर पर।
4. शुल्क - 50.00 रुपये प्रति सदस्य द्वारा देय होगा।
5. व्यय विवरण - 25.00 रुपये प्रति, व्यक्ति स्थानीय व्यवस्था हेतु व्यय।  
25.00 रुपये प्रति सदस्य के मान से राशि राज्य मुख्यालय में प्रतिवेदन के साथ भेजे।
6. कोन भाग लेगा - ऐसे शिक्षक जो स्काउटिंग में रूचि रखते हों एवं दल का संचालन करना चाहते हों, उनको ही सम्मिलित करावें।
7. शिविर का समय - सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक (कुल 8 घंटे)।
8. प्रशिक्षण का संचालन - ए.एल.टी./एल.टी. एवं जिन जिलों में ए.एल.टी./एल.टी. नहीं है वहाँ एच.डब्ल्यू.बी. स्काउटर ही प्रशिक्षण शिविर का संचालक करेंगे। इसकी स्वीकृति राज्य मुख्यालय से प्राप्त करना होगी। एडवांस/बेसिक स्काउट मास्टर शिविर का संचालन नहीं करेंगे।
  - शिविर समाप्ति के पश्चात 10 दिवस के अन्दर प्रतिवेदन मय सूची के साथ राज्य मुख्यालय में जमा करावें।
  - शिविर प्रारम्भ होने पर प्रतिभागियों की संख्या एवं संचालक मण्डल की उपस्थिति की जानकारी शिविर प्रारम्भ होने के एक घंटे बाद राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट) एवं राज्य सचिव को दूरभाष एवं फेक्स के द्वारा सूचित करेंगे।
  - प्रतिभागी से आगामी प्रशिक्षण हेतु सहमती उसी दिन प्राप्त करना आवश्यक होगा, इस सहमती को राज्य मुख्यालय प्रेषित करें।
  - परिचयात्मक शिविर के आदेश प्रतिभागियों की सूची सहित जिला शिक्षा अधिकारी/ए.सी. से प्रसारित कराये।
  - 30 जून 2013 तक समस्त जिलों के प्रस्ताव मय प्रस्तावित शिक्षकों की सूची के साथ राज्य मुख्यालय भेजे।